सं. ई-22012-1/2019-रा.भा.
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001
दिनांक : 10 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सितंबर, 2020 में हिन्दी दिवस/पखवाड़ा तथा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन के संबंध में।

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त आयोजनों के संबंध में दो कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले हिन्दी दिवस/पखवाड़े का आयोजन, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखते हुए यथा संभव ऑनलाइन तरीके से किया जाए।

2. इसी प्रकार जो संगठन अपनी विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पिछली तिमाही (अप्रैल-जून, 2020) में नहीं करा पाए हैं, वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2020) में लंबित बैठक एक-एक माह के अन्तराल में (एक बैठक अगस्त में एवं एक सितंबर में) कर सकते हैं।

3. अत: उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे हिन्दी दिवस/पखवाड़े का आयोजन तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की लंबित बैठक का आयोजन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें तथा इनकी रिपोर्ट डाक विभाग को भी प्रेषित करें।

4. इस संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दोनों कार्यालय ज्ञापनों की प्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु इसके साथ संलग्न हैं।

(सुनीता सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. सभी डाक सर्किलों के अध्यक्ष एवं सभी डाक प्रशिक्षण केंद्रों के निदेशक
2. निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद
3. मुख्य महाप्रबंधक, डाक जीवन बीमा निदेशालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय, नई दिल्ली
5. मुख्य महाप्रबंधक, सीईपीटी मैसूर
6. डाक निदेशालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी

सं.-11034/02/2019-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली,

दिनांक: 31 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सितंबर, 2020 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के **दिनांक 21.04.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क-1)** का अवलोकन करें जो सितंबर माह में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद, 14 सितंबर, 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, तो इससे हमारे संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गए। इस दिवस की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

2. आज हिंदी का महत्व राजभाषा, संपर्क भाषा और विश्वभाषा के रूप में बढ़ रहा है| केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब कई गुना बढ़ गया है। इस संदर्भ में दोहराया जाता है कि **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12** के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वे **राजभाषा अधिनियम, 1963**, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में, राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने हेतु सितंबर, 2020 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन करें। इन कार्यक्रमों की अवधि इस प्रकार रखी जाए कि "हिंदी दिवस" (14 सितंबर) इस अवधि के दौरान शामिल रहे। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी में मौलिक कार्य को जैसे टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र को बढ़ाना है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित **संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968** और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधी जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के प्रयत्न किए जाएं। साथ ही उनके सरकारी कार्य में **सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए।** राजभाषा के रूप में सरकारी काम-काज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। **वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जोकि, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सदभावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए।**

5. हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के दौरान, अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदर्शन हेतु, हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सुक्तियों के कम से कम दस पोस्टर/बैनर/स्टैन्डी अथवा एक-दो डिजीटल डिस्प्ले बनवाए जाएं। इन्हें प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं ताकि हिंदी के प्रति यह हमारे सांविधिक एवं संवैधानिक बाध्यता का स्मरण कराएं, हमारे कार्मिकों को हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। *प्रमुख हस्तियों की कुछ सुक्तियॉ सभी मंत्रालयों/विभागों हेतु संलग्न हैं ताकि वे इन्हें प्रदर्शित कर सकें, यदि मंत्रालयों/विभागों के पास अपेक्षित सुक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।* राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी ये सुक्तियॉ उपलब्ध हैं|

6. **सभी से अनुरोध है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए जाएं।**

7. हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराएं।

संलग्न : यथोक्त

सुमीत जैरथ
31/07/20

(डॉ. सुमीत जैरथ)
सचिव, राजभाषा विभाग

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

हिंदी भाषा से संबंधित सूक्तियाँ

1. राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।

महात्मा गांधी

2. भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।

नरेंद्र मोदी (प्रधान मंत्री)

3. भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।

अमित शाह (गृह मंत्री)

4. हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

मदन मोहन मालवीय

5. हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।

पुरूषोत्तम दास टंडन

6. हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

सुमित्रानंदन पंत

7. हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

डॉ सम्पूर्णानन्द

8. भारतीय भाषाएँ नदियां हैं और हिंदी महानदी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

9. हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।

मौलाना हसरत मोहानी

10. हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

स्वामी दयानंद

11. समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।

जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

12. वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है।

पीर मुहम्मद मूनिस

13. देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।

रविशंकर शुक्ल

14. हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

डॉ राजेन्द्र प्रसाद

15. आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी

सं.20003/01/2020-राभा(का.2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-।। बिल्डिंग,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक: 30.06.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय- तिमाही प्रगति रिपोर्ट व बैठकों से संबंधित ।

राजभाषा विभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा बैठकों के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए हैं-

क्रं.सं.	कार्य	निर्णय
1.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट का पूर्ण विवरण अपलोड करना	तिमाही प्रगति रिपोर्ट **(केवल चौथी तिमाही-वित्तीय वर्ष 2019-2020)** का पूर्ण विवरण अपलोड करने की समयसीमा **10.07.2020** तक बढ़ा दी गयी है। दिनांक 10 जुलाई 2020 के बाद अपलोड होने वाली रिपोर्टों को 2019-2020 के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पुरस्कार मूल्यांकन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।
2.	नराकास की बैठकें	नराकास की अप्रैल से जून 2020 की बैठकें अनिवार्य नहीं थी, परंतु जिन नराकासों ने उक्त माह में बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की, वैसी बैठकों को नराकास की नियमित बैठकों के रूप में गिना जाएगा। आगामी आदेशों तक नराकास की माह जुलाई 2020 तथा भविष्य में की जाने वाली बैठकें भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के जरिए कराई जा सकती है। बैठकों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के प्रमुखों को यथासंभव शामिल किया जाए। जिन ऑनलाइन बैठकों में क्षे.का.का. के कार्यालय प्रमुख शामिल नहीं हो पाएंगे, उन बैठकों के आयोजन के उपरांत बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित क्षे.का.का. को मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जाए ।
3.	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	जो संगठन अपनी विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक **(केवल पहली तिमाही-वित्तीय वर्ष 2020-2021)** नहीं करा पाये, वे वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी तिमाही (जुलाई-सितबंर 2020) में लंबित बैठक कर सकते हैं। दोनों तिमाही की बैठकों में एक माह का अंतराल यथासंभव रखा जाए ।

2. कोविड-19 की वजह से जो नराकास अप्रैल से जून 2020 की बैठकें नहीं करा पाये, वे अपनी नराकास की बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आगामी तिमाही (जुलाई-सितबंर 2020) के दौरान करते हुये राजभाषा विभाग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को अवगत कराएं ।

30/06/20

(संदीप आर्य)
निदेशक (कार्यान्वयन)
फोन- 23438129

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें। उपरोक्त पैरा संख्या 2 के संदर्भ में समेकित सूचना बैठक उपरांत राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएं।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।